रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
**PART II—Section 3—Sub-section (ii)**
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 3, 1976/पौष 13, 1897
No. 6] **NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 3, 1976/PAUSA 13, 1897**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.**

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

## NOTIFICATION

*New Delhi, the 29th December* 1975

**S.O.** 12(E).—Whereas the Government of Goa, Daman and Diu have intimated two inadvertent slips or omissions in the description of assembly constituencies No. 8-Pale and 28-Mormugoa mentioned in Table B of the Delimitation Commission's Order No. 13 of 15 April, 1974, in respect of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

And whereas the Commission considers it necessary and expedient to make an amendment in the description of the said constituencies and correct the error so as to bring the Order correct and uptodate;

Now therefore in exercise of the powers conferred by section 11 of the Delimitation Act, 1972, the Election Commission hereby makes the corrections in the said Order as follows:—

(i) Under column 2, against 8-Pale, in the description of the extent of the constituency, *after* the word "excluding" the words "Bicholim town and" shall be *inserted;*

(ii) Under column 2, against 28-Mormugoa, in the description of the extent of the constituency the words and figure "and 1-Vadem village in Mormugoa taluka" shall be *deleted;* and

(iii) In the Note, *for* the words and figures "1st day of April, 1974" the words and figures "1st day of August, 1975" shall be *substituted.*

[No. 282/1/GOA/75]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

## भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1975

**का० आ० 12(अ).**—गोवा, दमण और दीव सरकार ने, गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग के तारीख 15 अप्रैल, 1974 के आदेश सं० 13 की सारणी ख में वर्णित सभा निर्वाचन-क्षेत्र सं० 8-पाले और 28-मारमागोआ के विस्तार के वर्णन में अनवधानता से हुई दो भूल या चूक संसूचित की हैं;

और, निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन-क्षेत्रों के वर्णन में संशोधन करना तथा उक्त आदेश को ठीक और अद्यतन करने के लिए उन गलतियों को ठीक करना, आवश्यक और समीचीन समझता है;

अतः, अब, परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह आयोग उक्त आदेश में निम्नलिखित के अनुसार संशोधन करता है —

(i) स्तम्भ 2 के नीचे, 8-पाले के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में, "बिचोलिम तालुका" शब्द और कोष्ठक के बाद "बिचोलिम नगर और" शब्द जोड़ दिये जाएंगे;

(ii) स्तम्भ 2 के नीचे, 28-मारमागोआ के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में "तथा मारमागोआ तालुक में 1-बाडेम ग्राम" शब्द और अंक हटा दिये जाएंगे, और

(iii) टिप्पणी में, "1974 के अप्रैल के प्रथम दिन" शब्द और अंकों के स्थान पर, "1975 के अगस्त मास के प्रथम दिन" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[सं० 282/1/गोवा/75]

आदेश से,

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976